प्रेस–विज्ञप्ति

सीवान, दिनांक–29.04.2020

सरकार के निदेश के आलोक में, लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित **(नगर निकाय की सीमा से बाहर)**, सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना एवं भवन निर्माण में प्रयुक्त होनेवाली सामग्रियों के विक्रेता, प्रतिष्ठानों को खोलने का आदेश दिया जाता है, सीवान जिलान्तर्गत सभी containment zones के अन्तर्गत अवस्थित ऐसे प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं नगर निकाय क्षेत्र एवं containment zones से बाहर **आवश्यकता अनुरूप** ऐसे प्रतिष्ठानों को खुलवाने की कार्रवाई करेंगे। इन प्रतिष्ठानों में सरकार के निर्देश के अनुरूप Social Distancing एवं स्वच्छता के मानकों का शत्प्रतिशत अनुपालन किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी, सीवान सदर/महाराजगंज एवं सभी संबंधित अंचलाधिकारी उपयुक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

ह0/–
जिलाधिकारी, सीवान के आदेशानुसार

<u>प्रेस–विज्ञप्ति</u>

सीवान, दिनांक–29.04.2020

लॉकडाउन की अवधि में शैक्षणिक पुस्तकों एवं विद्युत पंखों की दुकानों **नहीं खोली जाएंगी,** अपितु इनका संचालन डोर–टू–डोर डिलीवरी के माध्यम से किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान इच्छुक पुस्तक विक्रेताओं के नाम और दूरभाष नं0 की सूची का प्रकाशन कराते हुए उसे शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य प्रचारित करायेंगे, जिससे कि शैक्षणिक पुस्तकों के विक्रेता दूरभाष/वाट्सएप पर प्राप्त क्रय आदेश के आलोक में छात्रों को डोर–टू–डोर डिलीवरी प्रदान कर सके। इसी प्रकार विद्युत पंखों के विक्रेता मोबाईल/वाट्सएप नं0 पर प्राप्त क्रय आदेश के आलोक में डोर–टू–डोर डिलीवरी कर सकेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी विद्युत पंखों के इच्छुक विक्रेताओं से उनके दूरभाष नं0/वाट्सएप नं0 की सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर/समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार करायेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, सीवान सदर एवं महाराजगंज शैक्षणिक पुस्तकों एंव विद्युत पंखों के विक्रेताओं के द्वारा डोर–टू–डोर डिलीवरी के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे एवं इसे सुनिश्चित करायेंगे।

ह0/–

जिलाधिकारी, सीवान के आदेशानुसार